	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	पत्रावली पेश है। पत्रावली वास्ते सुनाने आदेश दिनांक 21/12/2024 को पेश हो। उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)	
21/12/24	[illegible] 2026 को पेश हो।	
10	पत्रावली पेश है। स्पर्धा प्रतियोगी पत्रावली मय दस्तावेजात आदि का अवलोकन है। अधिपत्र किया। वादिगण का विद्वान अभिभाषक श्री मनोज कुमार मेघवाल एवं अधिवक्ता श्री [illegible] मूल वाद विचाराधीन है जिसमें लाइन विवाद पर विस्तृत विवेचन उपखण्ड अधिकारी जैतारण के फैसले प्रकरण में एक व्यापक दायक द्वारा पारित अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 24/3/21 को मूल वाद के निस्तारण तक पुरस्कृत किया जाता उचित प्रतीत होता है। अतः उपयुक्त विवेचन के आलोक में व्यापक दायक द्वारा पारित अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 24/3/21 को मूल वाद के निर्णय तक पुरस्कृत किया जाता है। पक्षकार अपना अपना वाद खर्चा वहन करेंगे। वाद नस्तीबद्ध पत्रावली दाखिल दफ्तर करें। लेखा अनुभाग पत्रावली	(रविप्रकाश RAS) उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)